संख्या-151/2021/3638/26-3-2021-1(16)/2021

प्रेषक,

राकेश कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 17 दिसम्बर 2021

विषय:- **अपि पिछड़े अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत जनपद-महराजगंज के विभिन्न ग्रामों में विकास कार्य कराये जाने हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबंध निदेशक, यू0पी0 सिडको, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-5433/6-3(60)/स0क0/ए0वि0यो0/सामान्य/2021, दिनांक-12.11.2021 एवं अपने पत्र संख्या-210-11/स0क0/विकास/एकीकृत/महराजगंज(54)/2021-22, दिनांक-22.07.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि निदेशालय के पत्र संख्या-210-11/स0क0/विकास/ एकीकृत/ महराजगंज (54)/2021-22, दिनांक-22.07.2021 द्वारा जनपद-महराजगंज के विकास खण्ड-परतावल के ग्राम-बेलराई, ग्राम-बेलवा बुजुर्ग एवं ग्राम-रामपुर उपाध्याय तथा विकासखण्ड-घुघली के ग्राम-विश्वनाथपुर, एवं ग्राम-महावन खोर उर्फ बड़हरा में विकास कार्य कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्रस्ताव के सापेक्ष जनपद-महराजगंज के विकास खण्ड-परतावल के ग्राम-बेलराई में विकास कार्य कराये जाने हेतु धनराशि रू0-31.30 लाख की स्वीकृति शासनादेश संख्या-103/2021/2053/ 26-3-2021-1(16)/2021, दिनांक-27.08.2021 द्वारा प्रदान की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में प्रबंध निदेशक, यू0पी0 सिडको के पत्र दिनांक-12.11.2021 (प्रति संलग्न) के माध्यम से अवगत कराया गया है कि एकीकृत विकास योजनान्तर्गत कार्यदायी संस्था यू0पी0 सिडको को विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से धनराशि रू0-87.66 लाख अवमुक्त की गयी है, परन्तु उक्त कार्य अभी अनारंभ हैं। उक्त अनारंभ कार्यों को औचित्यपूर्ण नहीं होने के कारण निरस्त करते हुये अवशेष धनराशि रू0-87.66 लाख से वर्तमान में जनपद-महराजगंज के विकास खण्ड-परतावल के ग्राम-बेलवा बुजुर्ग एवं ग्राम-रामपुर उपाध्याय तथा विकासखण्ड-घुघली के ग्राम-विश्वनाथपुर, एवं ग्राम-महावन खोर उर्फ बड़हरा में प्रचलित कार्यों को पूर्ण कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 में संचालित अपि पिछड़े अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत जनपद-महराजगंज के निम्नलिखित ग्रामों में विकास

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कार्य कराये जाने हेतु **धनराशि रू0-87.66 लाख (रू0-रूपये सत्तासी लाख छाछठ हजार मात्र)** की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

जनपद–महराजगंज

क्र सं	विकास खण्ड	ग्राम का ग्राम	कार्य की कुल लागत	चतुर्थ किश्त के रूप में निर्गत की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1	परतावल	बेलवा बुजर्ग	188.94	21.915
2	परतावल	रामपुर उपाध्याय	168.99	21.915
3	घुघली	विश्वनाथपुर	176.32	21.915
4	घुघली	महावन खोर उर्फ बडहरा	137.65	21.915
योग–			617.90	87.66

(रूपये–सत्तासी लाख छाछठ हजार मात्र)

(1)-निदेशक, समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था यू0पी0 सिडको, लखनऊ के साथ अनुबन्ध निष्पादित करते हुये अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया जायेगा।

(2)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है, इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशक, समाज कल्याण का होगा।

(3)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विद्यमान नियमों का अनुपालन करते हुये सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन व महालेखाकार को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

(5)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो का निर्माण निर्धारित ससमय में पूर्ण कर लिया जाये।

(6)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7)-धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नही रखी जायेगी।

(8)-यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(9)-धनराशि का आवंटन बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही किया जायेगा।

(10)-उक्त प्रायोजन की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये। उक्त कार्य की मात्राओं के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(11)- प्रश्नगत कार्यों में शासनादेश संख्या-1178/26-3-2020, दिनांक-12.05.2020 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

योजना-10-अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना-1003-सम्पर्क मार्ग का निर्माण-24-बृहद निर्माण कार्य' के नामे डाला जायेगा।

6- उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/ बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक-22 मार्च, 2021 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

राकेश कुमार
विशेष सचिव

पृसं0-151/2021/3638(1)/26-3-2021 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम एंव द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5- जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, महराजगंज।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
8- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 सिडको, लखनऊ।
9- निदेशक, एन0आई0सी0।
10- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।